

प्रेस विज्ञप्ति

लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2015 में चयनित चिकित्सक, जिनके पदस्थापना आदेश वर्ष 2017 में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी किये गये थे, उन्हें दिनांक 31.12.2017 तक अपना कार्य ग्रहण करना था। जिन चिकित्सकों ने नियत तिथि तक अपनी उपस्थिति नहीं दी है उनकी पदस्थापना में यदि कोई कठिनाई हो तो उनके पक्ष की समक्ष सुनवाई हेतु उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त समक्ष सुनवाई हेतु अनिवार्य रूप से दिनांक 15.01.2018 दिन सोमवार को प्रातः 11.00 बजे, अपर संचालक(प्रशासन) के कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश